भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2879
उत्तर देने की तारीख : 08.08.2024

तमिलनाडु में चल रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के आंकड़े

2879. श्री सचिदानन्दम आर. :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या मंत्रालय के पास आज की तारीख तक तमिलनाडु में चल रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की जिला-वार संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं;
(ख) उक्त क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की कुल संख्या कितनी है, जिन्हें आज की तारीख तक राज्यों द्वारा मंत्रालय से वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदान की गई है;और
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य में जिलों-वार कुल कितने नए एमएसएमई शुरू किए गए/स्थापित किए गए और कार्य कर रहे हैं?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) और (ग) : एमएसएमई के वर्गीकरण हेतु नए संशोधित मानदंड के साथ दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरूआत की गई थी। दिनांक 05.08.2024 तक तमिलनाडु राज्य में उद्यम पंजीकरण पोर्टल तथा उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म पर पंजीकृत एमएसएमई की कुल संख्या 39,45,867 थी और इसका जिला-वार विवरण **अनुबंध-।** में दिया गया है।

दिनांक 05.08.2024 तक तमिलनाडु राज्य में दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2024की अवधिके दौरान उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर शामिल किए गए एमएसएमई की कुल सख्या 9,74,586 थी और इसका जिला-वार विवरण अनुबंध-।। पर दिया गया है।

(ख) : उद्यम पंजीकरण एमएसएमई कोएमएसएमई मंत्रालय की क्रेडिट गारंटी स्कीम, सार्वजनिक खरीद नीति, सरकारी निविदाओं में अतिरिक्त लाभ और विलंबित भुगतानों के प्रति सुरक्षा आदि जैसी स्कीमों का लाभ प्राप्त करने में उनकी सहायता करता है।

तमिलनाडु सहित एमएसएमई को क्रेडिट तक पहुंच सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों और स्कीमों तथा घोषणाओं द्वारा कई पहलें की हैं, जिसमें अन्य के साथ-साथ (i) क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के ऋण हेतु 85 प्रतिशत तक गारंटी कवरेज के साथ एमएसई को 500 लाख रुपए तक की सीमा के लिए कोलेटरल मुक्त ऋण (01.01.2023 से प्रभावी) (ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण के लिए खुदरा और थोक व्यापारों का एमएसएमई के रूप में समावेशन।

क्रेडिट सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई पहलें की हैं। इनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

i. आत्म निर्भर भारत फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन। इस स्कीम में भारत सरकार से 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी के लिए प्रावधान है।
ii. पीएमईजीपी के तहत परियोजना लागत की अधिकतम अनुमत लागत को विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र के लिए इसे 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है।
iii. एमएसएमई के वर्गीकरण हेतु नया संशोधित मानदंड।
iv. एमएसएमई की स्थिति में स्तरोन्नयन के मामले में 3 वर्षों के लिए गैर-कर का लाभ प्रदान किया गया है।
v. विवाद से विश्वास -I के तहत एमएसएमई को काटी गई कार्यनिष्पादन सुरक्षा, निविदा सुरक्षा और लिक्विडेटेड क्षति का 95 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति द्वारा लाभ प्रदान किया गया था। अनुबंधों की अनुपालना में चूक के मामलों में प्रतिबंधित किए गए एमएसएमई को भी राहत प्रदान की गई थी।
vi. प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण (पीएसएल) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने हेतु उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म (यूएपी) की शुरूआत की गई है।
vii. 18 व्यापारों में कार्यरत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आद्योपांत समग्र लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम की शुरूआत की है।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान 80,496 लाख रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ 29,287 सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है जिससे तमिलनाडु राज्य में अनुमानित 2.34 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

सीजीटीएमएसई के तहत वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान, तमिलनाडु में 34005.43 करोड़ रुपए की राशि के साथ 3.71 लाख गारंटियों को अनुमोदन प्रदान किया गया था।

इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) की स्थापना की है जो सामानय इंजीनियरिंग, फोर्जिन एंड फाउंड्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सुगंध और सुरस, ग्लास, फुटवियर और स्पोर्टस गुड्स जैसे क्षेत्रों में औजारों के डिजाइन और विनिर्माण, प्रिसीजन घटक, मॉल्ड्स, डाइज आदि के माध्यम से प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करते हैं। मंत्रालय एमएसएमई क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु निवेश प्रदान करने के लक्ष्य के साथ विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का भी कार्यान्वयन करता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम अपने तकनीकी सेवा केंद्रों और विस्तार केंद्रों के माध्मय से लघु उद्यमों को सहायता सेवाएं प्रदान करता है। इन तकनीकी सहायता सेवाओं में नई तकनीकों के अनुप्रयोगों पर परामर्श प्रदान करना, मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से मैटेरियल परीक्षण, कैड सहित उत्पाद डिजाइन, मशीनिंग में सामान्य सुविधा सेवा, ईडीएम, सीएनसी आदि एवं चयनित केंद्रों पर ऊर्जा तथा पर्यावरणीय सेवाएं और कौशल उन्नयन के लिए क्लासरूम प्रायोगिक प्रशिक्षण शामिल हैं।

****

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **2879**, जिसका उत्तर दिनांक 08.08.2024 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 01/07/2020 में शुरूआत से 05/08/2024 तक तमिलनाडु राज्य के लिए उद्यम और यूएपी के तहत पंजीकृत कुल एमएसएमई का जिला-वार ब्यौरा					
क्र.सं.	**जिला**	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**	**कुल**
1	अरियालूर	26,884	189	15	27,089
2	चेंगलपट्टू	92,626	589	30	93,247
3	चेन्नई	4,44,602	12,881	1,616	4,59,102
4	कोयंबटूर	3,15,707	6,824	742	3,23,277
5	कुड्डालोर	1,17,159	817	49	1,18,030
6	धर्मपुरी	77,478	515	20	78,019
7	डिंडीगुल	1,06,260	1,072	71	1,07,410
8	इरोड	1,32,624	2,572	195	1,35,399
9	कल्लाकुरिची	24,404	215	10	24,638
10	कांचीपुरम	1,43,311	2,495	339	1,46,155
11	कन्नियाकुमारी	1,17,467	892	58	1,18,428
12	करूर	41,928	776	56	42,772
13	कृष्णागिरी	1,01,357	1,541	108	1,03,019
14	मदुरै	1,79,807	2,230	158	1,82,209
15	माइलादुत्रयी	23,127	135	4	23,281
16	नागपट्टिनम	38,918	215	5	39,154
17	नमक्कल	89,974	1,972	179	92,142
18	पेरम्बलूर	17,784	214	11	18,027
19	पुदुक्कोट्टई	61,836	549	25	62,429
20	रामनाथपुरम	46,193	334	14	46,561
21	रानीपेट	40,261	241	6	40,529
22	सलेम	1,97,859	2,951	193	2,01,025
23	शिवगंगा	52,602	386	22	53,033
24	तेनकासी	41,625	301	8	41,958
25	तंजावुर	1,07,143	886	43	1,08,097
26	नीलगिरिश	38,338	264	10	38,638
27	धेनी	66,382	587	47	67,043
28	तिरुवल्लुर	1,68,411	2,616	238	1,71,293
29	थिरुवरुर	47,973	278	16	48,296
30	तिरुचिरापल्ली	1,28,592	1,449	85	1,30,156
31	तिरुनेलवेली	1,09,833	965	52	1,10,881
32	तिरुपथुर	43,635	160	2	43,829
33	तिरुपूर	1,61,932	5,532	460	1,67,957
34	तिरुवन्नामलाई	86,642	666	32	87,374
35	तूतीकोरिन	81,590	1,083	92	82,800
36	वेल्लोर	1,30,884	1,057	77	1,32,054
37	विल्लुपुरम	88,285	770	32	89,124
38	विरुधुनगर	90,452	1,504	139	92,133
कुल		**38,81,885**	**58,723**	**5,259**	**39,45,867**

अनुबंध-II

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **2879**, जिसका उत्तर दिनांक 08.08.2024 को दिया जाना है, के भाग (ग) और (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 01/07/2020 में शुरूआत से 05/08/2024 तक तमिलनाडु राज्य के लिए उद्यम के तहत शामिल किए गए कुल एमएसएमई का जिला-वार ब्यौरा					
क्र.सं.	**जिला**	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**	**कुल**
1	अरियालूर	7,939	20	-	7,959
2	चेंगलपट्टू	27,601	75	3	27,679
3	चेन्नई	1,07,248	678	45	1,07,971
4	कोयंबटूर	72,351	400	31	72,782
5	कुड्डालोर	29,008	58	2	29,068
6	धर्मपुरी	26,066	59	3	26,128
7	डिंडीगुल	24,299	76	3	24,378
8	इरोड	30,346	180	8	30,534
9	कल्लाकुरिची	9,587	46	4	9,637
10	कांचीपुरम	31,734	131	40	31,905
11	कन्नियाकुमारी	22,223	67	3	22,293
12	करूर	11,560	74	3	11,637
13	कृष्णागिरी	35,043	124	3	35,170
14	मदुरै	37,280	144	4	37,428
15	माइलादुत्रयी	8,635	17	1	8,653
16	नागपट्टिनम	8,779	30	-	8,809
17	नमक्कल	21,273	161	9	21,443
18	पेरम्बलूर	6,447	39	-	6,486
19	पुदुक्कोट्टई	17,759	51	-	17,810
20	रामनाथपुरम	14,152	45	1	14,198
21	रानीपेट	16,514	24	1	16,539
22	सलेम	46,324	209	9	46,542
23	शिवगंगा	12,670	54	-	12,724
24	तेनकासी	12,423	34	1	12,458
25	तंजावुर	25,119	90	1	25,210
26	नीलगिरिश	11,026	15	3	11,044
27	धेनी	12,770	43	3	12,816
28	तिरुवल्लुर	42,240	161	7	42,408
29	थिरुवरुर	11,598	17	1	11,616
30	तिरुचिरापल्ली	29,638	96	4	29,738
31	तिरुनेलवेली	22,119	73	7	22,199
32	तिरुपथुर	17,698	24	-	17,722
33	तिरुपूर	46,370	356	20	46,746
34	तिरुवन्नामलाई	22,316	66	8	22,390
35	तूतीकोरिन	19,627	93	6	19,726
36	वेल्लोर	27,493	74	4	27,571
37	विल्लुपुरम	22,473	75	3	22,551
38	विरुधुनगर	22,536	80	2	22,618
कुल		**9,70,284**	**4,059**	**243**	**9,74,586**